न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारीः अजीत कुमार गोदारा कुमार(आर.ए.एस.)
वाद संख्याः 138/2022
जी.सी.एम.एस.नं. 2022/302

भादर राम पुत्र दुलाराम जाति कुम्हार उम्र-50 वर्ष निवासी 3 एम.एस.आर तहसील व जिला अनूपगढ़ (राज.)

——— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

———प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-:: निर्णय ::- दिनांक-01/07/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक-3 एम.एस.आर तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं-29 पत्थर नम्बर सं.-309/438 का किला नं.-3 ता 25 का कुल भूमि 3.542 हैक्टर नहरी/बारानी खातेदारी वादी के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त कृषि भूमि वादी व वादी के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। जिसमे वादी का 1/4 हिस्सा है जो निरन्तर वादी के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादी सह खातेदार कृषक है। वादी का सही वा वास्तविक नाम भादर राम पुत्र दुलाराम है लेकिन उसका घरेलू नाम बहादर राम होने के कारण वादी को घर में व रिश्तेदारी में दोनों नामों भादर राम व बहादर राम के नाम से जानते व पुकारते थे वादी परिवार जो ग्रामीण परिवेश का था व वादी भी ग्रामीण परिवेश का है तत्पश्चात वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन बहादर राम पुत्र दुलाराम के नाम से ही दर्ज हुआ जो कि एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। वादी का सही वा वास्तविक नाम भादर राम पुत्र दुलाराम है। वादी के पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड जिनकी प्रतियॉ संलग्न वाद पत्र है में वादी का नाम भादर राम पुत्र दुलाराम ही दर्ज है लेकिन वादी के घर में वादी को उसके घरेलू नाम बहादर राम से पुकारते थे इसलिए वादी का नाम बहादर राम दर्ज करवा दिया था जबकि वादी का सही वा वास्तविक नाम भादर राम ही है इस प्रकार बहादर राम व भादर राम वादी का ही नाम है तथा वादी को इन दोनों नामों से ही जाना व पुकारा जाता है। वादी जो कि ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। वादी को पूर्व में उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नही था अब वादी उक्त कृषि भूमि पर ऋण की पत्रावली तैयार करवाने के संबंध में अरसा 10 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो उन्होंने रिकॉर्ड देखकर बताया कि आपका नाम भादर राम का नाम दर्ज नही बल्कि आपका नाम रिकॉर्ड मे बहादर राम दर्ज है। जिस पर वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि उसका सही नाम भादर राम है और घर वाले बहादर राम के नाम से बुलाते है ओर बहादर राम व भादर राम दोनों नाम मेरे ही है तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय न्यायालय में चाराजोई करने के लिए कहा जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। वादी का सही व वास्तविक नाम भादर राम पुत्र दुलाराम है लेकिन सहबन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उसका घरेलू नाम बहादर राम पुत्र दुलाराम दर्ज हो गया है जो एक सद्भाविक एवं माननीय भूल है वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.20 14:31:57 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात मे नाम अलग–अलग होने के कारण वादी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम गलत रूप से बहादर राम दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेज निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम भादर राम पुत्र दुलाराम दर्ज है। जिससे वादी को भविष्य में अपने हिस्सा की कृषि भूमि के संबंध में बैंक इत्यादि से लोन आदि लेने में वादी को काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भी न्यायहित में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे सहबन से गलत दर्ज हुए नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में वादी को दो अलग–अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वादी अपने सही व वास्तविक नाम भादर राम के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके इसलिए वादी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है फलस्वरूप वादी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ रहा है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोट मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनूपगढ़ चक–3 एम.एस.आर का नया खाता सं.–75 पुराना खाता सं.–60 में मुरब्बा नं.–29 पत्थर सं. –309/438 के किला नं.–3 ता 25 का कुल भूमि 3.542 हैक्टर नहरी/बारानी भूमि मुस्तरफा खाता में वादी बहादर राम पुत्र दुलाराम जाति कुम्हार हिस्सा 1/4 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चक–3 एम. एस.आर अन्य मोतबिरान व्यक्तियो से कि गयी जानकारी अनुसार वादी का सही नाम भादर राम पुत्र दुलाराम ही बताया गया, एवं राजस्व दर्ज नाम बहादर राम पुत्र दुलाराम को सही कर भादर राम पुत्र दुलाराम किया जाना उचित बताया गया। रिपोर्ट के साथ वादी स्वय का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत 4 एम.एस.आर वर्ष 2022 मे जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेज प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट कमाकः–राजस्व/2022/1449 दिनांक 08.12.2022 ग्राम पंचायत 4 एम.एस.आर वर्ष 2022 मे जारी प्रमाण–पत्र एवं कार्यालय ग्राम पंचायत 3 एम.एस. आर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर वादी का नाम बहादर राम पुत्र दुलाराम के स्थान पर बहादर राम उर्फ भादर राम पुत्र दुलाराम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत एवं वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर सयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक–3 एम.एस.आर तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं–29 पत्थर सं.–309/438 का किला नम्बर 3 ता 25 का कुल भूमि 3.542 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में **वादी का नाम बहादर राम के स्थान पर बहादर राम उर्फ भादर राम का अंकन किया जावें।** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज **दिनांक–01.07.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.20 14:31:57 IST
Reason: SelfAttested

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़